# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

## फर्द अहकाम

मु०न० 75/15 तारीख रजू 26.8.15

उनवान - कलुवा बनाम सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली

दावा बाबत घोषणा खातेदारी / इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा अधि० ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी / इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया / शपथपत्र / अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया गया / दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 28.9.15 को पेश हो। 2236.38 26.8.15

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

28.9.15 वादी वकील उप० / प्रतिवादी न. 2,3 बावजूद सूचना उप० नही है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी न. 1 का सम्मन बाद तामील प्राप्त नही हुआ है बइन्तजार तामील प्रतिवादी न. 1 दिनांक 28.10.15 को पेश हो।

28.10.15 वादी वकील उप० / प्रतिवादी न 1 का सम्मन बाद तामिल अप्राप्त है वास्ते इन्तजार नोटिस दिनांक 7.12.15 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

3/3/17

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी कोठी मीटिंग मे है। अतः पत्रावली मजमुनसार दिनांक 3-5-17 को पेश हो।

3.5.17

वादी वकील उप। गजानुसार न्याय आपके द्वार कैम्प काडीसा में दिनांक 22.5.17 को पेश हो।

22.5.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प काडीसा में पेश हुई। वादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। वादी वकील भी उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित है। इन्होंने इस पत्रावली में पूर्व मे प्रस्तुत जबाब दावा का वर्णन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर $\frac{884}{0.06}$ $\frac{885}{0.06}$, $\frac{886}{0.12}$, $\frac{887}{0.42}$, $\frac{888}{0.01}$, $\frac{889}{0.12}$, $\frac{891}{0.28}$, $\frac{892}{0.20}$, $\frac{893}{0.89}$, $\frac{894}{0.69}$, $\frac{895}{0.17}$, $\frac{957}{0.04}$ $\frac{958}{0.44}$, $\frac{959}{0.13}$ ग्राम भैसां पट्टी खुर्द वर्तमान रिकार्ड के अनुसार किस्म चारागाह दर्ज है उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर आमीन, बदरू, फरियाद पि० धीस्या जाति राणा का पुराने समय से कब्जा चला आ रहा है तथा आमीन की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसके पुत्रगण अनवार, अख्तर का कब्जा काश्त चला (लगातार)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---|---|
| | आ रहा है तथा मौके पर कलुवा बाबू छुट्टन पि० परभाती जाति मुसलमान नि० भैसा पट्टी खुर्द का कोई कब्जा काश्त नही है। भूमि की किस्म चारागाह है वादीगण को किसी भी प्रकार से खातेदारी दिया जाना न्याय संगत एवं उचित नही है इसलिए दावा वादीगण खारिज किया जावे। |
| | पैरोकार सरकार की प्रस्तुत जवाब एवं कथन पर अवलोकन एवं विचार किया। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। मजमेआम मे जानकारी की गई। तथा वादीगण एवं वादी वकील बावजूद सूचना उपस्थित भी नही० है। ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 884, 885, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 957, 958, 959 कुल किता 14 कुल रकबा 6.14 हे० राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2067-2070 चारागाह किस्म के रूप मे दर्ज है इनके साबिक खसरा नम्बर 478 रकबा 24 बीघा एक बिस्वा की किस्म भी चारागाह दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट। जवाब एवं कथन तथा मजमेआम |

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र

फर्द अहकाम

में हुई जानकारी के अनुसार वादीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा काश्त ही नहीं थी वादीगण की साक्ष्य कराये जाने की आवश्यकता भी उचित प्रतीत नहीं होती थी उपस्थित भी नहीं थी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण बाबत इस्तकरारहक / इन्द्राज दुरुस्ती / हुक्म इम्तनाई दावामी खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पर्ची डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.5.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय कैम्प कोडीसा में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner